

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 5/9/2013

क्रमांक एफ-1-8/2013/1/34 (2) : राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री विजय सोलगे, सहायक यंत्री (सिविल), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड, उज्जैन को कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतन पी.बी.-3 वेतनमान रूपये 15600-39100/- + ग्रेड पे 6600/- में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उन्हें कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, झाबुआ में श्री एस0के0पटवा, कार्यपालन यंत्री के स्थानांतरण से रिक्त होने वाले पद पर पदस्थ किया जाता है।

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

3/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 9 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक-21, सन, 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(पी0के0ठाकुर)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ-1-8/2013/1/34 (2)

भोपाल, दिनांक 5/9/2013

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
 2. निज सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
 3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, म0प्र0 भोपाल ।
 4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ।
 5. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल, उज्जैन/इन्दौर ।
 6. कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, उज्जैन/झाबुआ ।
 7. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड, उज्जैन ।
 8. संचालक, जन सम्पर्क ।
 9. संबंधित अधिकारी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. स्टाक फाईल ।


उप सचिव 5/9/13
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 5/9/2013

क्रमांक एफ-1-8/2013/1/34 (1) : राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एस0के0पटवा, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, झाबुआ का प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परियोजना खण्ड, (सिंहस्थ कार्य हेतु) उज्जैन में रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(पी0के0ठाकुर)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

✓ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पू0क्रमांक एफ-1-8/2013/1/34 (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 5/9/2013

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
2. निज सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय ।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, म0प्र0 भोपाल ।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी इन्दौर परिक्षेत्र इन्दौर ।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, उज्जैन/इन्दौर ।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, झाबुआ ।
7. संचालक, जनसम्पर्क ।
8. श्री एस0के0पटवा, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, झाबुआ ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. स्टाक फाईल ।


उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 20/9/2013

क्रमांक एफ-1-8/2013/1/34 : राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री डी0आर0चौरे, सहायक यंत्री (सिविल), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड, बैहर, बालाघाट को कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतन पी.बी.-3 वेतनमान रुपये 15600-39100/- + ग्रेड पे 6600/- में पदोन्नत करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उन्हें कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, हरदा में पदस्थ किया जाता है।

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

3/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 9 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

S. D. A. 4/ प्रमाणित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक-21, सन, 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(पी0के0ठाकुर)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

.....2

EE(C)
Taw
20/9/13

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
 2. निज सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
 3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, म0प्र0 भोपाल ।
 4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ।
 5. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल, छिन्दवाड़ा/नर्मदापुरम, होशंगाबाद ।
 6. कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, हरदा/भिण्ड ।
 7. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड, बैहर, बालाघाट ।
 8. संचालक, जन सम्पर्क ।
 9. संबंधित अधिकारी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. स्टाक फाईल ।


उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 20/9/2013

क्रमांक एफ-1-8/2013/1/34 : राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक-2083/3094/2013/1/34, दिनांक 20.8.2013 के स0क0-3 के सम्मुख कॉलम 4 में संशोधन करते हुए श्री तुलसीराम शाक्य, कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, हरदा को कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, भिण्ड में रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(पी0के0ठाकुर)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 20/9/2013

पृ0क्रमांक एफ-1-8/2013/1/34
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
2. निज सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय ।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, म0प्र0 भोपाल ।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र, इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर ।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, उज्जैन/इन्दौर/ग्वालियर ।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, हरदा/भिण्ड ।
7. संचालक, जनसम्पर्क ।
8. श्री तुलसीराम शाक्य, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, हरदा ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. स्टाक फाईल ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

20/9/13

EE(C)
TWS
20/9/13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल, दिनांक 20/9/2013

2592
क्रमांक /3502/2013/1/34 : राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित उपयंत्री (सिविल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को तत्काल प्रभाव से समान सामर्थ्य में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रशासकीय आधार पर कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए पदस्थ किया जाता है :-

| सं. क्रं. | अधिकारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री सी०एस०गावन्डे, उपयंत्री (वि./यां.) | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मैकेनिकल उपखण्ड कटनी | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मैकेनिकल उपखण्ड, नरसिंहपुर |
| 2 | श्री पी०चौथाइनी, उपयंत्री (वि./यां.) | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मैकेनिकल उपखण्ड जबलपुर | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मैकेनिकल उपखण्ड कटनी |

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(पी०के०ठाकुर)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 20/9/2013

2593
पू०क्रमांक /3502/2013/1/34
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
 2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय ।
 3. निज सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय ।
 4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, म०प्र० भोपाल ।
 5. मुख्य अभियंता (वि./यां.) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, भोपाल ।
 6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, जबलपुर ।
 7. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, कटनी/नरसिंहपुर/जबलपुर ।
 8. संचालक, जनसम्पर्क ।
 9. संबंधित अधिकारी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. स्टाक फाईल ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग